

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

सं0..... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर

दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम रामपुर पगड़ा परगना-सरैया, थाना-दलसिंहसराय, थाना नं0-60 जिला समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरुणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं0-88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम रामपुर पगड़ा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 0.74 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 96, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 185, 186, 187, 188, 202, 203, 212, 214, 215, 189, 191 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 213 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- मुख्य सड़क हाजीपुर से दलसिंहसराय एवं अंश खेसरा सं0 96, 98, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 114 एवं 115।

दक्षिण:- अंश खेसरा संख्या 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 202, 203, 204, 212, 214 एवं 215 है।


पूरब :- सीमा रेखा ग्राम पगड़ा थाना नं0-59

पूरब:- सीमा रेखा ग्राम बल्लोचक थाना नं0 62।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।
अपर समाहत्ता,
समस्तीपुर।
समाहत्ता
समस्तीपुर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव

- 3005/र०.

ज्ञापांक/डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना दिनांक— 23-12-13

- प्रतिलिपि:— (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय, समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:— यथोक्त।

6/2
18/12/13
सरकार के अवर सचिव